

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 27 अक्टूबर, 2021

Dy.Comm (Admn.) Aligarh
Commercial Tax, Region- Aligarh

कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र0(सम्पत्ति अनुभाग) के आदेश संख्या-483 दिनांक 07/10/2021 के साथ संलग्न होकर प्राप्त शासनादेश संख्या-रा0क0-4-426/11-4-2021-300(38)/03 दिनांक 30/09/2021 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से दी गयी स्वीकृति के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1309-जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण" के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार मानक मद-24-वृहद् निर्माण कार्य की मद में धनराशि रुपये 4,51,45,000/- (रुपये चार करोड़ इक्यावन लाख पैतालिस हजार मात्र) का आवंटन किया जाता है ।

आवंटित की जा रही धनराशि का मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन करते हुये आवंटित बजट की सीमा तक सीमित रखें तथा आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें । यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये । उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या-39 पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पू0पू0सं0 एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी Aligarh
- 2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3:- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सम्पत्ति), वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 27 अक्टूबर, 2021

Dy.Comm (Admn.) Aligarh
Commercial Tax, Region- Aligarh

कमिश्नर, वाणिज्य कर, -3090(सम्पत्ति अनुभाग) के आदेश संख्या-483 दिनांक 07/10/2021 के साथ संलग्न होकर प्राप्त शासनादेश संख्या-रा0क0-4-426/11-4-2021-300(38)/03 दिनांक 30/09/2021 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से दी गयी स्वीकृति के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1309-जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण" के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार मानक मद-24-वृहद् निर्माण कार्य की मद में धनराशि रुपये 4,51,45,000/- (रुपये चार करोड़ इक्यावन लाख पैतालिस हजार मात्र) का आवंटन किया जाता है ।

आवंटित की जा रही धनराशि का मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन करते हुये आवंटित बजट की सीमा तक सीमित रखें तथा आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें । यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये । अतः सक्षम अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये । उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट-आवंटन नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या-39 पर कर ली गयी है ।

संलग्नक-: यथोपरि ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पू0पू0सं0 एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:- मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी Aligarh
- 2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3:- ज्वाइंट कमिश्नर(सम्पत्ति), वाणिज्य कर, मुख्यालय ।


(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

Allotment Order Wise Report

Close Window

Print

 [PDF Generation Instructions](#)

आयुक्त- वाणिज्य कर

आवंटन आदेश संख्या: 040-B-1-5-BUDGET-2021-2022-/670

आवंटन तिथि: 27/10/2021

कोषागार: 06 - अलीगढ़

वित्तीय वर्ष: 2021-2022

अधिकारी / जनपद का संख्या: 4752 - सहा0 आयुक्त(ए)/ उप आयुक्त(प्रशासन)/(असेसमेंट)

अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -

अनुदान संख्या: 89 - संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

लेखाशीर्षक: 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

13 -

09 - जनपद अलीगढ़ मे वा0 कर कार्यालय भवन का निर्माण

आयोजनेत्तर-मतदेय

(धनराशि रुपये में)

कोषागार: अलीगढ़

मानक मद

पूर्व आवंटन वर्तमान आवंटन प्रगामी आवंटन

24 - वृहत् निर्माण कार्य

0

45145000

45145000

योग :

0

45145000

45145000



(शैलेश गिरि)



अपर आयुक्त लेखा